



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-27012022-232930
CG-MH-E-27012022-232930

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]
No. 346]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 27, 2022/माघ 7, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 2022/MAGHA 7, 1943

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुम्बई, 27 जनवरी, 2022

का.आ. 354(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, २००८, की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, रतलाम नीमच दोहरीकरण परियोजना (132.92 कि. मी.) को भूमि अधिग्रहण के हेतु लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबन्धित करने हेतु मध्य प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. ई-ऑफिस E-259252]

राजकुमार वानखेडे, मुख्य अभियंता (निर्माण-III)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Western Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 27th January, 2022

S.O. 354(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “Ratlam Nimach Doubling Project (132.92 Km.)” as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Madhya Pradesh, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. E-Office E-259252]

RAJKUMAR WANKHEDE, Chief Engineer (Construction-III)